राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1765 / 2014 / अजमेर

श्रीमती सुभिता अग्रवाल पत्नी श्री सुनील अग्रवाल
निवासी मकान नम्बर 2212 / 40,
अग्रवाल धर्मकांटा, आदर्श नगर, अजमेर ....प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक अजमेर प्रथम
2. श्री मुन्नालाल अग्रवाल पुत्र स्वं. श्री कुज बिहारी लाल अग्रवाल
निवासी पीली कोठी, केसरगंज, अजमेर ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री भवानी सिंह रावत
अभिभाषक ....प्रार्थीया की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अनुपस्थित ...अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक : 12.04.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अजमेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 10.06.2014 प्रकरण संख्या 418 / 2011 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक अजमेर प्रथम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में बख्शीश दस्तावेज दिनांक 03.05.2010 को निष्पादित कर उप पंजीयक अजमेर प्रथम के समक्ष पंजीयन हेतु पेश किया। उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज की मालियत 2,91,548 /– रू निर्धारित कर दस्तावेज पंजीबद्ध कर दिनांक 03.05.2010 को ही लौटा दिया। दस्तावेज से सम्बन्धित सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड क्षे. 80.98 वर्गगज आदर्श नगर, अजमेर ए.एम.सी. नं. 961 / 28 का एक भाग थी तथा उक्त सम्पत्ति पुरानी चुंगी चौकी नसीराबाद रोड पर स्थित होने का उल्लेख दस्तावेज में किया। आंतरिक लेखा जांच दल द्वारा उक्त दस्तावेज के संबंध में यह आक्षेप लिया गया कि दस्तावेज के पृष्ठ चार के तहत उक्त

2m–

लगातार............2

सम्पत्ति आदर्श नगर में स्थित है एवं उक्त सम्पत्ति पुरानी चुंगी चौकी, नसीराबाद रोड पर स्थित है। अतः मालियत की गणना डी.एल.सी. के क्रम सं. 84 के तहत माधव द्वार से पर्बतपुरा चौराहे तक (मुख्य नसीराबाद रोड़) की निर्धारित दर 660/– रू प्रति वर्गफीट से अपेक्षित है। इस ऑडिट आक्षेप के आधार पर सम्पत्ति की मालियत 4,81,054/– रू मानते हुये कमी मुद्रांक 4,740/– रू, कमी पंजीयन शुल्क 1,900/– रू. कुल राशि रू. 6,640/– रू. वसूलने हेतु रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे यथावत स्वीकार करते हुये शास्ति राशि रू. 1,000/– आरोपित करते हुये कुल राशि 7,640/– रू. वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीया का मुख्य कथन यह है कि इस प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति नसीराबाद रोड़ से आदर्श नगर के अन्दर स्थित सैटेलाईट अस्पताल वाली उक्त सड़क पर स्थित है तथा सम्पत्ति का मुख्य द्वारा एवं आने जाने का रास्ता भी उक्त सड़क पर स्थित है। विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया ने अपने जवाब में उपरोक्त स्थिति बताते हुये मौका निरीक्षण करने का अनुरोध किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण नहीं किया है तथा दस्तावेज के पृष्ठ सं. 4 पर सम्पत्ति की स्थिति के संबंध में उल्लेख होने के आधार पर रेफरेन्स स्वीकार किया है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत मौका निरीक्षण कर सम्पत्ति की वास्तविक लोकेशन का निर्धारण करते हुये मूल्यांकन करना चाहिए था। इस दृष्टिकोण से प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

3. अतः निगरानी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत रेफरेन्स के तथ्यों की जांच कर उभयपक्ष को सूचित करते हुये मौका निरीक्षण कर सम्पत्ति की वास्तविक लोकेशन का निर्धारण करते हुये उभयपक्ष को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को उपस्थित हो।

4. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य